भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 169B/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

1.नारायण महतो 2. लखन लाल महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

कल्याणी महतो...क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

10.01.2020 विक्रेता :– 1.नारायण महतो 2. लखन लाल महतो दोनों के पिता स्व0 कालीपद महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

क्रेता :– कल्याणी महतो पति श्री अनील कुमार महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला,जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड)जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 07.11.2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता कल्याणी महतो पति श्री अनील कुमार महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
छोटा गम्हरिया	गम्हरिया / 67	16	141 / अं0	0.05ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 2410 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम पर हाल सर्वे खतियान पंजी–II दर्ज है।
2. बिक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेताओं के पास रकवा–2.23.98एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेतागण पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहते है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार..................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1. नारायण महतो 2. लखन लाल महतो दोनों के पिता स्व0 कालीपद महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता कल्याणी महतो पति श्री अनील कुमार महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.05ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

10/01/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner